राष्ट्रीय लोक अदालत

UPMZ010080902023

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Shri Kamla Pati-I), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06168

अन्तिम आख्या सं0–1237 सन् 2023

शोकेन्द्र पाल बनाम मेहरबान

मुकदमा अपराध सं0–3150/2020,
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–एंटी पावर थैफ्ट, जिला–मुजफ्फरनगर।

09.09.2023

आज यह वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु पेश हुआ। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या को स्वीकार होने में आपत्ति न होने का अंकन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग का समस्त देय अदा कर दिया गया है तथा शमन–शुल्क अदा करने सम्बन्धी प्रपत्र धारा–152(3) विद्युत अधिनियम व विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 नियम–8(1) के अन्तर्गत भी प्रस्तुत कर दिया गया है तथा विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग का समस्त देय अदा कर दिया गया है और प्रकरण धारा–152(3) विद्युत अधिनियम व विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 नियम–8(1) के अन्तर्गत नियमानुसार निस्तारित कर दिया गया। वादी अधिवक्ता को अन्तिम आख्या स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 09–09–2023

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4,
मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by Kamla Pati Pal
Date: 2023.09.09 12:48:43 IST
Reason: Order
Location: Addl.District and Sessions Court No.4, Mzn